

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

एस.बी.सिविल याचिका संख्या 8528/2020 विनोद सोगण बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.09.2020 में अप्रार्थीगण को याचिकाथिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को कन्सीडर कर आख्यात्मक आदेश के जरिए निस्तारित करने के निर्देश दिये गए।

याचिकाथिया द्वारा अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि याचिकाथिया वर्तमान में राजकीय माध्यमिक विद्यालय मंगलपुरा, पोकरण जिला जैसलमेर में वरिष्ठ अध्यापक (हिन्दी) के पद पर तथा उसके पति उससे 450 किलोमीटर दूर राजकीय सेवा में कनिष्ठ महिला विशेषज्ञ के पद पर चूरु जिले में कार्यरत है। याचिकाथिया के कथनानुसार उसके तीन वर्ष के जुड़वा बच्चे हैं तथा उसकी माताजी हृदय रोग से ग्रसित है, जिनका चूरु में इलाज चल रहा है एवं उसके पति व्यस्तता की वजह से अपनी माता की देखभाल नहीं कर पाते हैं। अतः याचिकाथिया ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर पारिवारिक परिस्थितियों एवं पति-पत्नी प्रकरण (यदि पति-पत्नी दोनों राजकीय सेवा में हो तो उनको एक ही जिले (स्टेशन) में कार्यरत किया जावे) के आधार पर जैसलमेर जिले (जोधपुर मण्डल) से चूरु जिले (चूरु मण्डल) के सेठ नागरमल बाजोरिया रा.मा.वि. रतनगढ़ में पदस्थापन करने की मांग की है।

याचिकाथिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.09.2020 के परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय नियमों, अभिलेखीय व नीतिगत स्थिति के सम्बन्ध में गहन अवलोकन व परीक्षण किया गया। राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम-1971 के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक का पद मण्डल स्तर का पद है, जिसका सक्षम नियुक्ति अधिकारी संबंधित मण्डल का संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा है। रोस्टर का संधारण संबंधित नियुक्ति अधिकारी द्वारा ही किया जाता है। वरिष्ठ अध्यापक का पद मण्डल कैडर का होने के कारण मण्डल परिवर्तन कर स्थानान्तरण करने से विभाग का मण्डल स्तरीय रोस्टर प्रभावित होता है। वरिष्ठ अध्यापक के पद मण्डल में उपलब्ध रिक्तियों वर्गवार/मण्डलवार ही विज्ञापित किये जाते हैं एवं चयनित अभ्यर्थियों को मण्डलवार व वर्गवार ही नियुक्ति दी जाती है। अन्य मण्डल में स्थानान्तरण कर मण्डल परिवर्तन किये जाने से मण्डल में उपलब्ध पदों के विरुद्ध पदस्थापन का अनुपात असंतुलित हो जाएगा जिससे अव्यवस्था होगी तथा शिक्षण व्यवस्था पर प्रतिकूल पड़ेगा, जो कि छात्र हित एवं विभाग के अनुकूल नहीं है।

याचिकाथिया द्वारा पति-पत्नी दोनों के राजकीय सेवा में कार्यरत होने पर दोनों को एक स्थान पर पदस्थापित किये जाने के आधार पर जैसलमेर जिले (जोधपुर मण्डल) से चूरु जिले (चूरु मण्डल) में स्थानान्तरण की मांग के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि शासन के पत्रांक प 17(4) शिक्षा-2/2009 पार्ट जयपुर, दिनांक 26.07.2019 के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक के स्थानान्तरण हेतु वर्तमान में शासन द्वारा पत्रांक प 17(11) शिक्षा-2/अन्तरमण्डल स्था./2016 पार्ट-1 जयपुर, दिनांक 20.07.2018 द्वारा प्रदत्त दिशा-निर्देश प्रभावी है, जिनमें राजकीय सेवा में कार्यरत पति-पत्नी के एक ही स्थान पर पदस्थापन के सम्बन्ध में कोई दिशा-निर्देश अंकित नहीं है।

राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार (अनु-3) विभाग के परिपत्र क्रमांक: प.1(1)प्र.सु./अनु.-3/2020 पार्ट जयपुर, दिनांक 18.05.2020 के बिन्दु संख्या 03 में अंकित पति-पत्नी प्रकरण के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि उक्त परिपत्र राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या अन्य भर्ती एजेंसी से चयनित अभ्यर्थियों को मण्डल/जिला आवंटन पश्चात् काउंसिलिंग में वरीयता प्रदान करने के सम्बन्ध में है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा भी एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11311/2015 श्वेता बनाम सरकार में यह निर्णय पारित किया है कि "the appointment can be claimed as a matter of right but posting can not be claimed as a matter of right because it is the prerogative of the employer to take work from the employee as per availability of post." इस प्रकार कार्मिक द्वारा इच्छित स्थान पर स्थानान्तरण की मांग अधिकारस्वरूप नहीं की जा सकती। कार्मिक की पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर कार्मिक के पक्ष में स्थानान्तरण का अधिकार सृजित नहीं होता है। कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण हेतु वर्णित परिस्थितियों का विभागीय व्यवस्था एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में ही विचार किया जा सकता है। विभाग द्वारा प्रशासकीय व्यवस्था, राज्यहित, लोकहित व छात्र हितों को ध्यान में रख कर ही स्थानान्तरण किए जाते हैं। याचिकाथिया द्वारा अभ्यावेदन में पारिवारिक परिस्थितियों एवं पति के राजकीय सेवा में कार्यरत होने के आधार पर अन्तर मण्डल स्थानान्तरण हेतु की जा रही मांग तर्कसंगत एवं औचित्यपूर्ण नहीं है।

अतः याचिकाथिया द्वारा जैसलमेर जिले (जोधपुर मण्डल) से चूरु जिले (चूरु मण्डल) में स्थानान्तरण करने हेतु की जा रही मांग उपर्युक्त वस्तुस्थिति एवं विभागीय नियमों के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं पाई गई है। मांग उचित नहीं पाए जाने के कारण इस मांग को अस्वीकृत की जाकर याचिकाथिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन खारिज किया जाता है।


(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक:-

25.09.2020

क्रमांक:- शिविरा-मा./संस्था/एफ-2/को.के./जोध/12954/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. संयुक्त विधि परामर्शी, कार्यालय हाजा को सूचनार्थ।
2. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जोधपुर संभाग, जोधपुर
4. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) विधि, जोधपुर
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, जैसलमेर
6. याचिकाथी श्रीमती विनोद सोगण पत्नी श्री सीता राम कांवलिया, वरिष्ठ अध्यापक (हिन्दी), राजकीय माध्यमिक विद्यालय मंगलपुरा, पोकरण जिला जैसलमेर (रजिस्टर्ड)
7. रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)